भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 391
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

जग्गीरोड और पंचग्राम पेपर मिल्स

391. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एचपीसीएल की जग्गीरोड और पंचग्राम पेपर मिल्स के कर्मचारियों को विगत 35 महीनों से अपने वेतन और बकाये प्राप्त नहीं हुए हैं और अनेक अत्यधिक हताश कर्मचारियों ने आत्महत्या की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा एचपीसीएल की पंचग्राम और जग्गीरोड पेपर मिल्स को बचाने और प्रचालन हेतु तथा इन मिलों के कर्मचारियों को बकाये और वेतन के भुगतान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ग): असम में कछार पेपर मिल, पंचग्राम और नगाँव पेपर मिल, जागीरोड हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की मिलें हैं। ये मिलें प्रचालन में नहीं हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) ने दिनांक 13.06.2018 के आदेश के माध्यम से एचपीसी के विरुद्ध इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी), 2016 के तहत कॉर्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आरंभ करने का निदेश दिया। इसके बाद, आईबीसी के उपबंधों के अनुसार, एचपीसी का निदेशक मंडल निलंबित हो गया है और एचपीसी के लिए एक समाधान व्यावसायिक (आरपी) और लेनदारों की एक समिति नियुक्त की गई है।

अध्यक्ष एवं महानिदेशक, एचपीसी ने एनसीएलएटी के दिनांक 13.06.2018 के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अभिकरण (एनसीएलएटी) में एक अपील दायर की है। दिनांक 08.01.2019 के आदेश के द्वारा अपीलीय अभिकरण द्वारा उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया।

दिनांक 02.05.2019 को सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने एचपीसी के परिसमापन का आदेश दिया और एचपीसी के लिए सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की। तत्पश्चात, दिनांक 29.05.2019 को एनसीएलएटी ने सरकारी परिसमापक, एचपीसी को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि परिसमापन के दौरान एचपीसी एक " गोइंग कन्सर्न" है। सरकारी परिसमापक, एचपीसी भारतीय बैंक्रप्सी कोड 2016 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है।

*****